

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 10, सोमवार, शके 1947- सितम्बर 01, 2025 <i>Bhadra 10, Monday, Saka 1947- September 01, 2025</i>	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 01, 2025

संख्या एफ. 13(14)विशा/विस/2025 :-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 जैसा कि दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

2025 का विधेयक सं. 14

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 26 जुलाई, 2025 को और से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 1) की धारा 6 में,-

(i) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “स्वायत्त होना” के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय” से पूर्व, अभिव्यक्ति “या राज्य सरकार द्वारा शासित होना” अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

“(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के घटक या उसके द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय होना घोषित कर सकेगी। ऐसी घोषणा होने पर ऐसे महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण और समस्त भूमि, भवनों, प्रयोगशालाओं, उपस्कर, पुस्तकों सहित समस्त आस्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय(यों) के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर, और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर, राज्य सरकार के अधिकारी, अध्यापक, या यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।”।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में चिकित्सा पर्यटन के बढ़ने के अपार अवसर हैं। वर्तमान परिदृश्य में, एक ऐसे चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो चिकित्सा उन्नयन का पथ प्रदर्शक हो सके तथा राजस्थान राज्य में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं रोगी देखभाल के लिए उत्कृष्टता का केन्द्र बन सके। इसी कारण, मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि राजस्थान राज्य में अति विशिष्ट चिकित्सा उपचार को नये आयाम देने के क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की तर्ज पर एक संस्थान, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), के नाम से स्थापित किया जायेगा।

घोषणा को साकार करने के लिए, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में, उन महाविद्यालय(यों) को, जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय रहे हैं, सरकारी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु सरकार को सशक्त बनाने के लिए, संशोधन किये जाने आवश्यक हैं, और जिससे कि सरकार को विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों में से एक, आरयूएचएस चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय को, भविष्य के चिकित्सा संस्थान के रूप में, विकसित करने के लिए सामर्थ्यकारी बनाया जा सके।

अतः, सरकार को, विश्वविद्यालय के घटक या उसके द्वारा स्थापित महाविद्यालयों को सरकारी महाविद्यालयों के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त करने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 6 में, संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

चूँकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए, उन्होंने 26 जुलाई, 2025 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

गजेन्द्र सिंह,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No. 14 of 2025

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (AMENDMENT) BILL,
2025**

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill**further to amend the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 26th July, 2025.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 1 of 2005.- In section 6 of the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No. 1 of 2005),-

(i) in the clause (b) of sub-section (2), after the existing expression “is required to be self-governing” and before the existing expression “or to be associated with”, the expression “or to be governed by the State Government” shall be inserted; and

(ii) after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, declare any college, constituent to or established by the University, to be a government college. Upon such declaration, the administrative control of such college and all assets including all land, buildings, laboratories, equipment, books shall vest in the State Government and the officers, teachers and employees of such college(s) after being found suitable through screening by a screening committee constituted by the State Government and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers, or, as the case may be, employees of the State Government.”.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 1 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There are immense opportunities for medical tourism to grow in the State of Rajasthan. In the present scenario, a need is being felt for such a medical institute which would pioneer medical advancements and will become a centre of excellence for medical education, research, and patient care in the State of Rajasthan. For this reason, Chief Minister made an announcement that an Institute namely, the Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS) shall be established on the pattern of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi in order to give new dimensions to super specialty medical treatment in Rajasthan State.

To bring the announcement to reality, amendments in the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 are required to empower the Government to grant the status of Government College to the college(s) which are constituent college of the Rajasthan University of Health Sciences and thus, enabling the Government to develop the RUHS College of Medical Sciences, one of the Constituent college of the University, as a future medical institute.

Hence, amendment has been proposed in section 6 of the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 to empower the Government to declare colleges constituent to, or established by, the University as Government Colleges.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session, and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 1 of 2025) on 26th July, 2025, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 01st August, 2025.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

गजेन्द्र सिंह,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

Further to amend the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.